कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2011/DC(E)1801-II/443-66 दिनांक :: 27 मई, 2011

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 10 मई, 2011 को अपरान्ह 3.00 बजे श्री रमेश के. जैन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 21 मार्च, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में गत बैठक दिनांक 21 मार्च, 2011 की अनुपालना पेश की गयी। जो इस कार्यवाही विवरण के परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न है। बैठक में पालना रिपोर्ट पर विचार विमर्श कर संतोष व्यक्त किया गया तथा पालना से शेष रहे बिन्दुओं की शीघ्र पालना कर रिपोर्ट पेश किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव संख्या 2 :: संशोधित बजट अनुमान 2010–11 एवं बजट 2011–12 पर विचार विमर्श एवं निर्णय

बैठक में निदेशक–वित्त ने प्राधिकरण का संशोधित बजट अनुमान 2010–11 एवं बजट 2011–12 पर विचार विमर्श एवं निर्णय हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जो इस कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट–1 है।

निदेशक–वित्त द्वारा प्रस्तुत प्राधिकरण के संशोधित बजट अनुमान 2010–11 एवं बजट 2011–12 पर गहन विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान 2010–11 एवं बजट 2011–12 को सर्व सम्मति से अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: बी.एल.जी. कन्स्ट्रक्शन सर्विस को भुगतान किये जाने के संबंध में।

पूर्वी पाल रोड योजना में अतिक्रमण हटाने एवं योजना के पुनः नियोजन के संदर्भ में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान के आदेश संख्या एफ. 7 (5) अभियान– 2010/ डीएलबी/ 09/ 4157–82 दिनांक 29 फरवरी, 2010 एवं पत्र क्रमांक एफ/पीएमयू–26/आरयूआईएफडीसीओ/ 2009– 10/ 1121 दिनांक 12 मई, 2010 के क्रम में मैसर्स बी.एल.जी. कन्स्ट्रक्सन सर्विस जोधपुर को सर्वे हेतु कार्यादेश जारी किया गया। यद्यपि इस संबंध में टेण्डर संबंधी प्रक्रिया नहीं की गयी तथापि प्रशासन शहरों के संग अभियान के संदर्भ में उक्तानुसार दरें अनुमोदित थी तथा उक्त फर्म बी.एल.जी. कन्स्ट्रक्शन सर्विस राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित थी। सर्वे कार्य का सत्यापन संबंधित तहसीलदार एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया है। लेखा शाखा द्वारा निविदा प्रक्रिया बाबत आपत्ति की है। फर्म द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है। जिसके आधार पर पूर्वी पाल योजना से लगभग 150.00 करोड़ रूपये की भूमि पर से

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अतिक्रमण हटाये गये हैं। अतः कार्योत्तर स्वीकृति एवं भुगतान हेतु अनुमोदनार्थ प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्योत्तर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया तथा बैठक में निदेशक–वित्त को निर्देश प्रदान किये कि प्रकरण का परीक्षण कर देय राशि का भुगतान किया जावे।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि अत्यावश्यक परिस्थितियों में निश्चित राशि की सीमा तक कार्य सीमित निविदा या निविदा के बिना कार्य कराये जाने हेतु आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोध्पुर को अधिकृत किये जाने के लिए शिड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन का प्रस्ताव निदेशक–वित्त व सचिव के स्तर पर तैयार किया जावे। साथ ही शिड्यूल ऑफ पॉवर के अन्य प्रावधानों का भी परीक्षण कर आगामी प्राधिकरण की बैठक में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को किये गये आवंटन एवं विनिमय में किये गये आवंटन की पुष्टि।

निदेशक, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जोधपुर को पूर्व में शास्त्रीनगर सेक्टर जी में भूखण्ड संख्या 157 व 161 के सामने उपलब्ध पार्क की भूमि में से आधी भूमि क्षेत्रफल 1710 वर्ग मीटर आरक्षित दर रूपये 207/– प्रति वर्ग मीटर की आधी दर पर तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा आवंटित की गयी थी। स्थानीय नागरिकों द्वारा पार्क की जमीन आवंटित होने से रोष प्रकट करने पर मौके पर आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका। प्रकरण आवंटन समिति की बैठक दिनांक 22 जून, 1992 में प्रस्तुत हुआ जिस पर भूमि का कब्जा नहीं दिये जाने से पुनः प्रस्ताव लिया जाकर संस्थान को कमला नेहरू नगर सेक्टर ए में उपलब्ध भूमि 2161.16 वर्ग मीटर 123/– रूपये प्रति वर्ग मीटर की आधी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया तथा संस्थान को आवंटन–पत्र जारी किया गया।

कमला नेहरू नगर में भी उक्त भूमि पार्क की होने के कारण मोहल्लेवासियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2007 से आवंटित भूमि सार्वजनिक पार्क की होने से आवंटन निरस्त कर अन्यत्र भूमि आवंटन करने के निर्देश दिये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालनाम आवंटन समिति की बैठक दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 में सचिव को भूमि आवंटन हेतु अधिकृत किया गया तथा प्रकरण पुनः आवंटन समिति की बैठक दिनांक 8 अगस्त, 2008 में रखा गया जिस पर ग्राम आंगणवा में भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया किन्तु संस्थान को भूमि आवंटन नहीं की गयी गई।

समिति के सचिव ने दिनांक 7 सितम्बर, 2010 को प्राधिकरण कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चौखा के खसरा संख्या 627 में 1.5 बीघा अर्थात् 2428.02 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने हेतु सहमति प्रस्तुत की है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में प्राधिकरण द्वारा संस्थान को ग्राम चौखा के खसरा संख्या 627 में 1.5 बीघा भूमि का आवंटन पत्र जारी कर कार्यालय पत्रांक एफ. 46/ आवंटन/ जेडीए/ 2010/ 9118 दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। आवंटित भूमि की लीज डीड जारी की जानी है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

ग्राम चौखा की वर्तमान आरक्षित दर 2210/– रूपये प्रति वर्ग मीटर है। जिसके अनुसार भूखण्ड कीमत राशि 51,23,122/– रूपये होती है। पूर्व में 1710 वर्ग गज भूमि आरक्षित दर 207/– रूपये प्रति वर्ग मीटर की आधी दर पर तत्कालीन न्यास द्वारा कुल रूपये 1,76,985/– में आवंटित की गयी थी।

पूर्व में आवंटित स्थल कमला नेहरू नगर की वर्तमान आरक्षित दर 5,000/– रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 85,50,000/– रूपये कीमत होती है। जो वर्तमान में आवंटित भूमि की कीमत से काफी अधिक है।

प्राधिकरण द्वारा किये गये आवंटन की पुष्टि हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को किये गये आवंटन की पुष्टि कर लीज डीड जारी किये जाने का निर्णय लेते हुए तद्नुसार राज्य सरकार को सूचित करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजीव गांधी योजना में श्री अजयकुमार मिश्रा को आवंटित भूखण्ड संख्या ए–174 की निरस्ती बाबत।

श्री अजय कुमार मिश्रा को दिनांक 22 अप्रैल, 2010 को भूखण्ड संख्या ए–174, राजीव गांधी नगर में आवंटित किया गया। श्री मिश्रा द्वारा आयवर्ग 45001/– रूपये से 65,000/– रूपये मासिक तक में आवेदन किया गया। श्री मिश्रा द्वारा वेतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें मूल वेतन रूपये 47050/– मासिक अंकित किया गया साथ ही प्रस्तुत पे–स्लीप अनुसार श्री मिश्रा का वेतन 77483/– मासिक अंकित है तत्पश्चात् दिनांक 22 नवम्बर, 2010 को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि लॉटरी समिति के निर्णय अनुसार आय वर्ग के अनुसार आय अधिक है इस कारण से भूखण्ड के लिए पात्र नहीं माना गया तथा योजना की विवरणिका की शर्त संख्या 12 (8) के अनुसार आवेदन पत्र के साथ जमा करवायी गयी धरोहर राशि 25,000/– जब्त की जाती है तत्पश्चात् श्री मिश्रा द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनकी वेतन शृंखला अनुसार कुल आय रूपये 61050/– है। इस कारण वह आय वर्ग 45001/– से 65,000/– में आते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि आवंटन निरस्त किया गया है तो जब्त की गई राशि रूपये 25,000/– जब्त की जावे।

वस्तुतः आवेदक श्री मिश्रा द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2011 को जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें मात्र बैसिक पे रूपये 47,050/–, रैंक पे रूपये 8000/– एवं एम.एस.पी. रूपये 6000/– कुल रूपये 61050/– दर्शाये हैं।

राजीव गांधी योजना की विवरणिका के पृष्ठ संख्या 8 पर अंकित आय वर्ग में 6 वर्ग निर्धारित किये गये जिसमें मध्यम आय वर्ग – (बी) वर्ग में रूपये 45,001/– से 65,000/– रूपये तक आय वर्ग को सम्मिलित किया गया किन्तु शिड्यूल 2 रूल राजस्थान इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के शिड्यूल 2 रूल 17 (4) के अनुसार एच.आई.जी. (हायर इनकम ग्रुप) में रूपये 85,000/– मासिक तथा इससे अधिक को भी सम्मिलित माना जाता है।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री मिश्रा द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि लौटाये जाने का निर्णय लिया गया एवं भविष्य में प्राधिकरण द्वारा कियान्वित की जाने वाली योजनाओं में राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974 के प्रावधानों के तहत

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

145

निर्धारित शिड्यूल अनुसार आय वर्ग बनाने व तद्नुसार आवेदन–पत्र.आमंत्रित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सद्भावी आवेदकों की भूल एवं अपूर्ण आवेदन–पत्रों की स्थिति में संपूर्ण धरोहर राशि लौटायी जावे तथा जानबूझकर गलत सूचना देने वाले कपट करने वाले आवेदकों की धरोहर राशि जब्त कर ली जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि असफल आवेदकों व निरस्त आवेदन–पत्रों के साथ जमा धरोहर राशि लॉटरी की तिथि से 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से लौटायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवंटित आवासगृहों की विशेष समस्याओं बाबत।

1— मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में 60 आवंटित आवासगृहों में से केवल 8 आवासों में मूल आवंटी गाडिया लौहार समाज के परिवार निवास कर रहे है। इनके द्वारा पुनः शेष किश्ते जमा करवाना प्रारम्भ कर दिया गया है किन्तु अन्य 89 अतिक्रमी, मौके पर काबिज गाडिया लौहार परिवारों को इन्हीं हुडको आवासों को पुनःआवंटन आरक्षित दर पर किया जाना प्रस्तावित है। इससे पूर्व इन समस्त परिवारों का इनकी गृह तहसील से यह रिपोर्ट लिया जाना प्रस्तावित है कि यह परिवार किसी अन्य योजना/ विभाग द्वारा लाभाविन्त तो नहीं किए गए हैं। यदि इन परिवारों में से कुछ परिवार समाज कल्याण विभाग की योजना अनुसार पात्रता रखते हैं तो उनको रियायती दर पर आवास गृह आवंटन किया जा सकेगा। इस प्रकरण में समाज कल्याण विभाग द्वारा जिन 60 मूल आवंटियों के पेटे राशि जमा करवायी गयी किन्तु मूल केवल 8 आवंटी मौके पर काबिज है। अतः शेष 52 आवंटियों के पेटे राशि जो प्राधिकरण कोष में जमा हैं, पात्रता जांच के पश्चात् पात्र पाए जाने पर उनको रियायती दर पर आवंटन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

अतः इस संबंध में विचार विमर्श हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

2— 25 बंधक मजदूरों को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवंटित आवासगृहों की राशि जमा कराने के संबंध में

25 बन्धक मजदूरों को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में निर्मित आवास गृह आंवटन किये गये थे। 25 बन्धक मजदूरों को दिनांक 02.01.1999 को आंवटन पत्र सुपुर्द किये गये थे। आंवटन पत्र की शर्त संख्या 3(अ) के अनुसार आवास गृह की प्रति बन्धक मजदूर द्वारा प्रतिमाह 447/– किश्त जमा कराना अनिवार्य थी इसी प्रकार लीज राशि भी प्रतिवर्ष जमा करानी अनिवार्य थी किन्तु इनके द्वारा 12 वर्षो में एक किश्त भी जमा नहीं कराई है तथा न ही आपने लीज राशि जमा कराई है। राज्य सरकार के पत्रांक प–3(25)नविवि/3/06 दिनांक 25.01.2010 के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आवास गृहो पर अब तक बकाया और भविष्य की शेष किश्तो का एक साथ भुगतान करने पर ब्याज/शास्ति की सम्पूण छूट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार के पत्रांक एफ–5(3)नविवि/3/99–पार्ट दिनांक 24.03.2011 के अनुसार बकाया लीज राशि के साथ–साथ आगामी समस्त वर्षो की देय लीज राशि भी एक मुश्त जमा कराई जाती है तो बकाया लीज राशि की ब्याज में शत प्रतिशत में छूट दी जाएगी। उपरोक्त राज्य सरकार के परिपत्र के परिपेक्ष्य में इनको द्वारा बकाया किश्ते जमा कराने एवं बकाया लीज राशि जमा कराने हेतु प्रत्येक बन्धक मजदूर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर उपरोक्त छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है, बाबत सूचित किया गया।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

146

राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार किश्तों एवं लीज राशि की प्रत्येक बन्धक मजदूर द्वारा निम्नानुसार जमा करवाई जा सकती है। प्रत्येक बन्धक मजदूर के आवास गृह की किश्त 447 रूपये प्रतिमाह है।

1. 156 किश्ते	–	156X447	= 69,732/–
2. बकाया लीज राशि दिनांक 02.01.1999 से 28.04.2011 तक			4900/–
3. एक मुश्त लीज		400X8	= 3200/–
कुल राशि			77,832/–

राज्य सरकार के परिपत्र का लाभ नहीं लेने पर प्रत्येक बन्धक मजदूरों को आंवटित आवास गृह की बकाया किश्ते एवं लीज राशि मय ब्याज जमा कराना आवश्यक है।

1. किश्त दिनांक 02.01.1999 से 28.04.2011 तक 447 ग 147		= 65709/–
2. बकाया किश्तों पर ब्याज		72883/–
3. लीज राशि 02.01.1999 से 28.04.2011 तक	400 ग 12	= 4800/–
	तीन माह	100/–
4. लीज राशि पर ब्याज		3744/–
	कुल राशि	147236/–

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित आवंटियों से यह विकल्प लिया जावे कि वे अण्डर प्रोटेस्ट राशि जमा करा दें तथा बकाया लीज राशि व ब्याज में छूट की अवधि आगामी 3 माह हेतु बढ़ाने के लिए प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

प्रस्ताव संख्या 7 (1) :: स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जालोरीगेट ब्रॉच, जोधपुर से ओवरड्राफ्ट लिमिट 20.00 करोड रूपये से बढाकर 30.00 करोड ली जाने की स्वीकृति का अनुमोदन।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जालोरीगेट ब्रॉच, जोधपुर से 20.00 करोड़ रूपये ओवरड्राफ्ट लिमिट स्वीकृत है। वर्ष 2010–11 में दिनांक 4 नवम्बर, 2010 को 5.00 करोड़ अन्तरिम ओवरड्राफ्ट फेसेंलिटी को पत्रांक नि.वि. 195 दिनांक 27 जनवरी, 2011 द्वारा बंद कराया जा चुका है। अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प. 8 (5) नविवि/ 1/08 दिनांक 15 नवम्बर, 2010 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 55 के तहत 19 मई, 2009 द्वारा स्वीकृति 20.00 करोड ओवरड्राफ्ट स्वीकृति को बढाया जाकर 30.00 करोड रूपये का ओवरड्राफ्ट लेने की स्वीकृति नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रदान की गयी है। बढी हुई ओवरड्राफ्ट राशि लेने से पूर्व सहमति प्राप्त की जानी है। अतः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

147

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए ओवरड्राफ्ट लिमिट 30.00 करोड रूपये तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: विवेक विहार योजना पर चर्चा।
(2)

विवेक विहार योजना के तहत ग्राम सांगरिया की 1814.06 बीघा एवं ग्राम कुडी भगतासनी की 1280.10 बीघा कुल 3094–16 बीघा निजी खातेदारों की अवाप्तसुदा भूमि शामिल है। इसके अतिरिक्त रास्तों आदि की 65.17 बीघा भूमि एवं ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 192 व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 235 में पर्यावरण संरक्षण पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है।

अवार्डाधीन भूमि के नकद मुआवजे के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि संबंधी मांग के संबंध में प्रस्ताव पत्र कमांक भूअसा/2010/20–25 दिनांक 19 जनवरी, 2010 को प्रेषित किये गये जिसके कम में राज्य सरकार के पत्रांक प.6 (40) नविवि/ 3/ 96 दिनांक 20 मई, 2010 द्वारा नकद मुआवजे के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक विकसित भूमि दिये जाने की अनुमति प्रदान की।

योजना के सबंध में अवार्डधारकों से विकल्प प्राप्त किए गए। लगभग 3000 विकल्प प्राप्त हुए हैं। योजना के संबंध में कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 में प्रस्ताव पारित किया जाकर प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान को दिनांक 16 नवम्बर, 2010 को प्रेषित किये गये हैं। योजना के संबंध में दिनांक 11 नवम्बर, 2010 को माननीय विधायक श्री मलखानसिंह एवं काश्तकारों के संगठन किसान संघर्ष समिति कुडी भगतासनी – सांगरिया से चर्चा की गयी है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2011 को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजनाधीन भूमि पर वर्तमान में विकास कार्य (साफ सफाई एवं सड़कों आदि का डिमार्केशन) चालू है। योजना का ले–आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2011 में अनुमोदित कर दिया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2011 को योजना अनुमोदित कर दी गयी है। योजना की पर्यावरण स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है। योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार/कार्यवाही जारी हैः–

1– मुआवजे धारकों को देय भूखण्डों की लॉटरी प्रकिया के संबंध में विचारः–

इस संबंध में यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि सर्व प्रथम सेक्टरवार मुआवजाधारकों की वरीयता सूची लॉटरी द्वारा जारी की जावे। उक्त वरीयता अनुसार मुआवजे धारकों से भूखण्ड साईजों का विकल्प लिया जाकर लॉटरी द्वारा भूखण्ड़ों का आवंटन किया जावे। इस बिन्दु पर विचार कर निर्णय अपेक्षित है।

2– ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 270 से 280 के बीच राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तसुदा भूमि है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तान्तरित करना उचित होगा। उक्त भूमि सेक्टर ए एवं बी के बीच स्थित है। जो योजना की निरन्तरता एवं एकीकृत विकास के लिए उचित नहीं हैं। अतः विवेक विहार योजना के साथ ही उक्त भूमि का एकीकृत ले–आऊट प्लान बनाया जाना उचित होगा।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

3— किसान संघर्ष समिति कुडी भगतासनी सांगरिया में मुआवजे धारकों को 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर भी विकसित आवासीय भूमि देने की मांग की है। अतः मांग पर विचार अपेक्षित है।

विवेक विहार योजना हेतु रास्ते की भूमि के संबंध में:—

विवेक विहार योजना के ग्राम कुडी भगतासनी में पाली मुख्य सड़क से लगती हुई निजी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 391/271 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, 400/271 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 390/274 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 399/274 रकबा 14 बीघा कुल 31 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि विवेक विहार योजना की प्रस्तावित मुख्य 60 फीट सड़क एवम् राजकीय राजमार्ग के मध्य स्थित है। उक्त मुख्य सड़क को पाली रोड़ से सीधा जोड़ने के लिए उक्त निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति एवं इसके साथ लगती राजस्थान आवासन मण्डल की भूमि खसरा संख्या 270, 273, 274, 275, 276 आदि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को दी जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल एवं उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित किये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से विवेक विहार योजना की रहवासीय आरक्षित दर रूपये 6500/— तथा व्यवसायिक 13,000/— प्रति वर्ग मीटर किये जाने की पुष्टि की गयी। मुआवजेधारियों को दिये जाने वाले भूखण्डों की लॉटरी के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मुआवजाधारी जिनके भूखण्ड़ विधिवत् रूप से कृर्षि से अकृर्षि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है, को मुआवजे के बदले भूखण्ड़ यथासंभव अवाप्तसुदा भूखण्ड के लगभग 100 मीटर की परिधि में उपलब्ध कराये जावे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि खसरा संख्या 270 से 280 के बीच के क्षेत्र का ले—आऊट प्लान बनाने के निर्देश निदेशक—आयोजना को दिये जावे। निदेशक—आयोजना रास्ते (सडक के मार्गाधिकार) की भूमि में आ रही खसरों की भूमि को अवाप्त किये जाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायेंगे। विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन—पत्र की बुकलेट की कीमत 400/— रूपये प्रति बुकलेट रखे जाने की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 7 (3) :: योजना क्षेत्र में भूखण्ड़ों की शिफि्टंग।

यह पाया गया है कि किसी कारणवश प्रार्थी को आवंटित अथवा नीलामी में प्राप्त भूखण्ड का कब्जा नगर विकास न्यास अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिया नहीं जा सका। इस संबंध में प्रस्तावना है कि इन समस्त प्रकरणों को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करते हुए सर्व प्रथम प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के पश्चात् वैकल्पिक आवंटन किया जाएगा। ऐसे भूखण्डों के बदले में अन्य योजनाओं में डी.एल.सी. दर के मद्देनजर भूखण्ड का आवंटन व कब्जा देने पर विचार किया जाना उचित होगा।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन होने के पश्चात् ही वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन की कार्यवाही की जाए।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

145

प्रस्ताव संख्या 7 (4)	::	**प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न आवासीय/ बहुउद्देशीय योजना में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में।**

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न आवासीय/ बहुउद्देशीय योजनाओं में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में विचार विमर्श किया गया और बैठक में सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, निदेशक–आयोजना प्राधिकरण, अधीक्षण अभियन्ता शहर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, वरिष्ठ नगर नियोजक एवं संबंधित उपायुक्त की समिति गठित की जावे। उक्त समिति प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित एवं संभावित योजनाओं के आधार पर पेयजल की आवश्यकता का आंकलन करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए एवं आगामी 15 वर्ष की अवधि के लिए पृथक पृथक कार्य योजना तैयार करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि नगरीय विकास की दृष्टि से संभावित क्षेत्र को पृथक पृथक 4 जोन में विभाजित कर ईकजाई पेयजल उपलब्धता की लागत का अनुमान/आंकलन किया जावे और तद्नुसार जोनवार प्रतिवर्ग मीटर की दर से पेयजल उपलब्धता की लागत की राशि निर्धारित की जावे। आगामी तीन वर्ष के लिए प्रति जोनवार प्रति वर्ग मीटर पेयजल उपलब्धता की लागत आगामी 15 दिवस में कर ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 (5)	::	**जोधपुर शहर की विभिन्न सड़कों के संधारण के संबंध में।**

जोधपुर शहर में विभिन्न सड़कों का संधारण विभिन्न एजेन्सियां यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर निगम, रीको, प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न सड़क मार्ग के संधारण एवं स्वामित्व की जानकारी के अभाव में आमजन व अन्य एजेन्सियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1– अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
2– अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग,
3– अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4– उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल
5– क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको,
6– अधिशाषी अभियन्ता क्षेत्रवार, नगर निगम,

उक्त समिति सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर निगम, रीको, प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल से विभिन्न सड़क मार्गों की सूची प्राप्त कर प्रत्येक सड़क मार्ग को एक यूनिक कोड संख्या आवंटित करने के लिए एक माह में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। विभिन्न सडक मार्ग को कोड नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् प्राधिकरण की वेब–साईट व जिले की वेब–साईट पर इसका प्रकाशन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 (6)	::	**ऑटोकेड कम्प्यूटर ऑपरेटर को मानदेय देने के संबंध में।**

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

150

बैठक में निदेशक–आयोजना ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उनके अधीन ओटोकेड कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत् हैं, को मानदेय दिये जाने का प्रकरण पिछले काफी समय से लम्बित चल रहा है। चूंकि ओटोकेड कम्प्यूटर ऑपरेटर से कार्य करवाया जा चुका है। अतः उसे मानदेय का भुगतान किया जाना उचित है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–आयोजना के अधीन कार्यरत् ओटोकेड कम्प्यूटर ऑपरेटर को रूपये 5,500./– मासिक का भुगतान इस शर्त पर किया जाता है कि वह ऑटोकेड के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का कार्य भी कम्प्यूटर पर सुचारू रूप से दक्षता से करेगा। प्रकरण में कार्योत्तर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 7 (7) :: अनुमोदित ले–आऊट प्लान का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं अनुमोदित ले–आऊट प्लान को वेब–साईट पर उपलब्ध कराने के संबंध में।

सद्भावी नागरिक (भूखण्ड केता) भ्रमित नहीं हो तथा उनके साथ किसी प्रकार की धोखा धडी नहीं हो इसके मद्देनजर बैठक में विचार विमर्श के दौरान अनुमोदित ले–आऊट प्लान का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं उक्त अनुमोदित ले–आऊट प्लान को वेब–साईट पर उपलब्ध कराना उचित समझा गया ताकि सामान्य लोग बिना अनुमोदित योजना में भूखण्ड कय करने के लिए भ्रमित नहीं हो व उनके साथ धोखाधडी न हो।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुमोदित ले–आऊट प्लान का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा उक्त अनुमोदित ले–आऊट प्लान को वेब–साईट पर उपलब्ध कराया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक/बैठक/2011/DC(E)/1801-II/443-66 दिनांक :: 27 मई, 2011

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– निजी सहायक (अध्यक्ष महोदय) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर
4– महापौर महोदया, नगर निगम, जोधपुर
5– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
6– जिला पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय, जोधपुर
7– आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8– शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
9– उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर
10– अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11– अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

443-466
27/5/11
151

12— मुख्य प्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13— वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
14— आयुक्त परिवहन विभाग जोधपुर

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(15)

परिशिष्ट–2

दिनांक 10 मई, 2011 को अपरान्ह 3.00 बजे श्री रमेश के. जैन, संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री के.सी. गौदानी, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री पी.एस. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता–शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
3. श्री सी.एस. पारासर, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
4. श्री एस.आर. जोशी, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
5. श्री रोशनसिंह चौहान, उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
6. श्री हरजी राम अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थेः–

1. श्री सी.के. बाफना, निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री अरूण उपाध्याय, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री हनुमानदास सोनी, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री एन.के. बंसल, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्रीमती अजरा, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor